न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

ईश्वर बनाम बेरी (कैरा)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं0 58 सन 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
3.22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 12/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
2.3.22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है; अतः पत्रावली दिनांक 10.5.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
0.5.22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है; अतः पत्रावली दिनांक 3.6.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
6.22	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के फोलोकैम्प ग्राम पंचायत पीपास मे पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए एवं तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

राजस्थान --सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

न अधिकारी--डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस

संख्या - 58/22 प्रा पत्र

ी ईश्वर s/o श्री गोपी जाट निवासी- थाबोला तहसील- माण्डल (भी.)

-प्रार्थी

बनाम

1 बंशी s/o हीरा लुहार निवासी - थाबोला तहसील- माण्डल (भी.)

(सहखातेदार/प्रार्थी पत्र सा/कथा)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 03.06.22

::आदेश::

ी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के ग्राम थाबोला पटवार हल्का खातडी तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी न. 870 कुल किता 01 रकबा 1.0244 र ....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा हीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

ार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04-03-22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी ा अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थाबोला ल्का खातडी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 870 ....कुल किता 01 रकबा 1.0244 हैक्टेयर बीघा ..बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा को 700/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021